

- (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति। — वर्तमान में राज्य सरकार के प्रवासनिक नियंत्रण में । संलग्न है
- (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे यौर दे। संलग्न है
- (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शीत करने वाले 150,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीय वन सीमाए संलग्न है। — है।
- (iv) ऐपिट की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के बौरे संलग्न हैं (हा / नहीं)। — है।
- (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : — संलग्न है।
- (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में सबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है (हा / नहीं)। — है।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हा / नहीं)। — है।

27. स्पीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों पर संलग्न है।  
स्थान: पिथौरागढ़  
तारीख: २०-३-२०१५

अप्रस्तावित प्रस्ताव का रूप।।। इरा  
भारत सरकार व राज्य सरकार  
क्रिया का अनुपालग्नियोग।।।

नाम संदीप  
शासकीय मुद्रा

प्रभागीय व अधिकारी  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग  
पिथौरागढ़